अत्यावश्यक/
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(1)न्याय/2022 जयपुर, दिनांक 29.07.2022

श्री शैलेश कुमार
उप विधि परामर्शी
कार्यालय वाणिज्य कर विभाग
जयपुर।

विषयः–राजकीय आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भः– इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 12.07.2022 एवं 18.07.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.07.2022 द्वारा आपका स्थानान्तरण उप विधि परामर्शी, कार्यालय वाणिज्य कर विभाग, जयपुर से उप विधि परामर्शी, कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर में श्री विजय कुमार जैन के स्थान पर किया गया, किन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है, जबकि इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार उक्त आदेश की पालना 7 दिवस में की जानी थी। आप द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.07.2022 द्वारा निर्देशित किया गया तथा निर्देशों की पालना नहीं करने पर पर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु भी लिखा गया, किन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक कार्यगहण नहीं किया गया है। आप द्वारा राजकीय आदेशों की अवहेलना की गई है, इसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है, क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी जाए।

अतः आप अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस के भीतर–भीतर प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत है व नियमानुसार आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के तहत आरोप पत्र, आरोप आदि विवरण पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

29.7.22
(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

अत्यावश्यक/
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(1)न्याय/2022 जयपुर, दिनांक 29.07.2022

श्री विजय कुमार जैन
उप विधि परामर्शी
नगर निगम जयपुर हैरिटेज
जयपुर।

विषयः–राजकीय आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भः– इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 12.07.2022 एवं 18.07.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.07.2022 द्वारा आपका स्थानान्तरण उप विधि परामर्शी, कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर से संयुक्त विधि परामशी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (करापवंचन) राजस्थान वृत्त, जयपुर के रिक्त पद पर किया गया, किन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है, जबकि इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार उक्त आदेश की पालना 7 दिवस में की जानी थी। आप द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.07.2022 द्वारा निर्देशित किया गया तथा निर्देशों की पालना नहीं करने पर पर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु भी लिखा गया, किन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक कार्यगहण नहीं किया गया है। आप द्वारा राजकीय आदेशों की अवहेलना की गई है, इसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है, क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी जाए।

अतः आप अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस के भीतर–भीतर प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत है व नियमानुसार आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के तहत आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र आदि जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

29.7.22
(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\LETTTER-2018.docx

अत्यावश्यक/
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(1)न्याय/2022 जयपुर, दिनांक 29.07.2022

श्री सुरेश चन्द शर्मा
उप विधि परामर्शी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
जयपुर।

विषयः–राजकीय आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भः– इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 12.07.2022 एवं 18.07.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.07.2022 द्वारा आपका स्थानान्तरण उप विधि परामर्शी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर से संयुक्त विधि परामशी, कार्यालय उद्योग विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के रिक्त पद पर किया गया, किन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है, जबकि इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार उक्त आदेश की पालना 7 दिवस में की जानी थी। आप द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.07.2022 द्वारा निर्देशित किया गया तथा निर्देशों की पालना नहीं करने पर पर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु भी लिखा गया, किन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक कार्यगहण नहीं किया गया है। आप द्वारा राजकीय आदेशों की अवहेलना की गई है, इसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है, क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी जाए।

अतः आप अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस के भीतर–भीतर प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत है व नियमानुसार आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के तहत आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र आदि जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

29.7.22
(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\LETTTER-2018.docx

अत्यावश्यक/
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(1)न्याय/2022 जयपुर, दिनांक 29.07.2022

श्री अमीरूल हसन गौरी
उप विधि परामर्शी
निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा
बीकानेर।

विषयः–राजकीय आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भः– इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 12.07.2022 एवं 18.07.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.07.2022 द्वारा आपका स्थानान्तरण उप विधि परामर्शी, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से संयुक्त विधि परामशी, कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण कोटा के रिक्त पद के विरूद्ध किया गया, किन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है, जबकि इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार उक्त आदेश की पालना 7 दिवस में की जानी थी। आप द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.07.2022 द्वारा निर्देशित किया गया तथा निर्देशों की पालना नहीं करने पर पर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु भी लिखा गया, किन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक कार्यगहण नहीं किया गया है। आप द्वारा राजकीय आदेशों की अवहेलना की गई है, इसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है, क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी जाए।

अतः आप अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस के भीतर–भीतर प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत है व नियमानुसार आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के तहत आरोप पत्र, आरोप आदि विवरण पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

29.7.22

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\LETTTER-2018.docx